

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय मुख्यालय,  
पारिवर्तन क्षेत्र II पब्लिक रिलेशन्स ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
वडोदरा (गुजरात)

3/10/19  
3/10/19

आवेदक :- श्री. मनोहरलाल नयमल गांधी

मैन रोड बाजार चौक मु + पोस्ट केलवद, ला. सावनेर,  
जि. नागपुर. - 344112

मो. नं. 9422502811

विषय :- सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत मेरा आवेदन  
दि. 08/09/2019.

संदर्भ :- आपका पत्र प. क्षेत्र-II/जन सूचना/2018

महोदय,

सूचना के अधिनियम 2005 के तहत मैंने  
दि. 08/09/2019 को आपके कार्यालय में आवेदन पंजीकृत उक्त  
द्वारा मिजवामा या/व्ये आवेदन पर मैंने भारत सरकार को  
कोर्ट किस स्टम्प रुपये दस्त लगाई थी।

आपके संदर्भित पत्रानुसार रजिस्ट्रेशन टैक्स रु 10/- को कि  
जमा करना अनिवार्य है। यह कि मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया  
केलवद का डिमांड ड्राफ्ट वडोदरा में देय मिजवा रहा हू। कृपया मेरे  
सूचना अधिनियम आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी जल्द से  
जल्द देने का कष्ट करें

संलग्न :-

1) डिडी क्र. 313306 रु. 10/-

2) डिडी क्र. 313307 रु. 10/-

3) संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि

आवेदक

मनोहरलाल नयमल गांधी

(मनोहरलाल नयमल गांधी)



प.क्ष.पा.प्र - 4/WRTS-II  
दिनांक: 11/9/19  
आ. नं./In. No.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,  
श्री शिवनेर अमाननर  
11/9/19



लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय मुख्यालय,  
पश्चिमी क्षेत्र प्र. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.  
वडाहरा (मुजफ्फरगढ़)

1) आवेदक का नाम : श्री मनोहरलाल नयमल गौरी  
2) आवेदक का पुरा पता : मेन रोड बाजार चौक, मु+पो-केलवह,  
ता. शावनेर, जि. नागपुर, म.प्र. 474112  
मो.नं. 9422502811  
3) चाही गई जानकारी का विवरण : मेरे द्वारा दि. 13/04/2018 को आपके  
हिंदवाड़ा (म.प्र.) कार्यालय से किये गए  
पत्र व्यवहार के संदर्भ में  
(गाडरवाडी - बरोरा नद के.सी. लॉइन)

1) जानकारी का विषय : पत्र व्यवहार / आवेदन पर की गयी कारवाई के  
2) जानकारी संबंधित कालावधि : 01/04/2018 से 08/09/2019  
3) आवश्यक जानकारी का विवरण : 1) मेरे द्वारा दि. 13/04/2018 को आपके हिंदवाड़ा  
कार्यालय में दिये गए आवेदन पर आपके विभाग  
द्वारा कि गयी कारवाई का विवरण इस संबंध में  
आपके विभाग द्वारा किये गए पत्र व्यवहार की  
प्रमाणित प्रतियाँ.

2) मेरे द्वारा दि. 13/04/2018 को आपके हिंदवाड़ा  
कार्यालय में दिये गए आवेदन पर आपके विभाग  
द्वारा किये गए कारवाई पर आपके विभाग को  
प्राप्त पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रतियाँ.

4) जानकारी डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से : पंजीकृत डाक द्वारा

5) डाक द्वारा होने पर साधी डाक, पंजीकृत अथवा तत्काल डाक : पंजीकृत डाक / तत्काल डाक

4) क्या आवेदक गरिबी रेखा के नीचे है, अथवा नहीं। : नहीं

(यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूचिका अनुक्रमांक)

संलग्न :- दि. 13/04/2018 की प्रतिलिपि

स्थान : नागपुर

दिनांक : 08/09/2019

शिवनेर अमाननर  
आवेदक के हस्ताक्षर



प्रति,



मा. प्रबंधक महोदय,

पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

पश्चिमी क्षेत्र II, चंदनगांव, नागपूर रोड, छिंदवाडा

अर्जदार :- श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी, मो. नं. 9422502811

मु.पो. केलवद, तह. सावनेर, जि. नागपूर

संदर्भ :- आपका दि. 02/03/2017 का पत्र प्राप्त दि. 07/04/2018

विषय :- मेरे औद्योगिक अकृषक भुमी मे आपके द्वारा निर्मित किये

जा रहे टॉवर एवं पारेषन लाईनबाबत।

महोदय,

मेरी मौजा. रायबासा, तालुका - सावनेर, जि. नागपूर मे खसरा क्र 312, 313/1, 312,313/2, 312,313/3, 312,313/4, औद्योगिक अकृषक भुमी रकबा (आराजी) 4.82 हेक्टर आर है। यह संपुर्ण भुमी मा. जिल्हाधिकारी नागपूर इनके अकृषक आदेश रा.मा.क्र. 57/एनएपी 34/2016-17 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिये अकृषक कि गयी है। यह जमिन वंश परंपरागत रूप से मेरे पास है। इस औद्योगिक जमिन के मध्य क्षेत्र मे आपके कंपनीद्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट गण्डरवाडा-वरोरा पारेषण लाईन का निर्माण कार्य दि. 27/03/2018 से शुरु है। इस औद्योगिक अकृषक जमीन के मध्यक्षेत्र मे निर्मानाधिन टॉवर एवम जा रहे पारेषन लाईन से मुझे आर्थिक नुकसान एवम मानसिक परेशानी हो रही है। इस संबंध मे मुआवजा एवम क्षतीपूर्ती तय करते वकत मेरे निम्नलिखित मुद्दोपर गंभिरतापुर्वक विचार किया जाना चाहिए।

- 1) जमिन के मध्य क्षेत्र मे निर्मित टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन के वजह से मेरे पुरे जमीन कि औदयोगिक उपयुक्तता (योग्यता) खत्म हो रही है। जमिन का औदयोगिक एवम वाणिजिक उपयोग लेने का मेरा संवैधानिक अधिकार/हक्क अवरुद्ध/नष्ट हो रहा है।
- 2) संबंधीत जमीन की लंबाई, चौडाई एवम पारेषन लाईन की लंबाई चौडाई को ध्यान मे रखकर मध्यभाग मे निर्मित टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जा रही पारेषन लाईन की वजह से इस औदयोगिक भुमी का संपूर्ण क्षेत्र बाधित क्षेत्र माना जाए। एवम संपूर्ण क्षेत्र का मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती दी जाए।
- 3) कृषी उपयोगी भुमी मे किसान टॉवर के निचे एवम पारेषन लाईन के नीचे फसल कि उपज ले सकता है। लेकिन औदयोगिक उपयोग की भुमी मे एवम नियमानुसार आसपास ढाचागत औदयोगिक एवम वाणिज्यिक निर्माण कार्य नही कर सकता। इसलिए संपूर्ण जमीन क्षेत्र का मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती रेडी रेकनर रेट के 200% दिया जाए।
- 4) गैरकृषी उपयोगी औदयोगिक भुमी के मध्य क्षेत्र मे आनेवाले टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन से निर्मित प्रतिबंधात्मक क्षेत्र का रकबा तथा मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती निश्चित करने के लिए, नगर रचना विभाग (नगर निवेश विभाग) के अधिकारी की अधिकारीक समिती मे नियुक्ती आवश्यक है।
- 5) मैने मेरे छोटे पुत्र को कारखाना शुरु करने के दृष्टीकोन से संबंधीत उच्च शिक्षा दि है। एवम उसकी उच्च शिक्षा (B.Sc. Biotech. MBA) पुर्ण हो गई है। इस दुविधापूर्ण स्थिती मे मेरे पुत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है।



6) इस जमीन का औद्योगिक एवम वाणिज्यिक उपयोग ना कर पाने से मेरे भविष्य के संभावित नुकसान का भी मुआवजा एवम क्षतिपूर्ति मुझे दि जाए।

7) रायबासा केलवद मार्ग को लगकर यह मेरी वंश परंपरागत जमीन है। नियोजित कारखाना शुरु करने के लिए अब अन्यत्र उपयुक्त जमीन मेरे पास नहीं है।

ऐसे अपवादात्मक एवम दुविधापूर्ण स्थिती मे मेरे निवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार आवश्यक है।  
दि. 12/04/2018

अर्जदार


संलग्न :-

- 1) अकृषक आदेश
- 2) सातबारा उत्तारा
- 3) उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र
- 4) स्थानदर्शक नकाशा
- 5) शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- 6) मुल्यांकन पत्र

(श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी)

प्रतिलिपी :-

- 1) मा. जिल्हाधिकारी नागपूर, विभाग नागपूर
- 2) मा. उपविभागीय अधिकारी, सावनेर
- 3) मा. उप महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कॉ. ऑफ इंडीया, भोपाल



Received  
Dongre  
13/04/18

16/04/18

13/04/18  
आवक जावक लिपिक  
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय  
सावनेर